अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का0आ0सं0–निग / सारा–4(पथ)–आरोप–22 / 2019 पटना, दिनांक :– 29/4/19

कार्यालय आदेश –103

पथ प्रमंडल, गोपालगंज अन्तर्गत CMBD के तहत् IRQP Work of NH-28, Hazipur to Saran Bandh Via Manikpur Khairetia Village Road (Length 7.00 Km.) of the year 2015-16 की उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–3, के द्वारा जाँचोपरांत समर्पित तत्संबंधी प्रारंभिक / गुणवत्ता प्रतिवेदन की विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा समीक्षोंपरांत उपलब्ध कराये गये अनुसंशा की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ में पायी गयी कतिपय त्रुटियों / अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक–10567(S)We दिनांक–17.11.2017 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री विनय कुमार, तत्कालीन सहायक शोध पदाधिकारी पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रतिः सहायक शोध पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर दिनांक–21.12.2017 की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी।

(2) प्रश्नगत मामले में उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ कार्य में निम्न त्रुटि / अनियमितता पायी गयी।

(i) आलोच्य पथ के कि०मी० 04 में कराये गये BM Gr-II की मुटाई 45.00mm पायी गयी, जो विहित प्रावधान (50.00mm) एवं 3mm तक प्रावधान से कम पाये जाने के निर्धारित टॉलरेन्स लिमिट से भी कम है।

(ii) आलोच्य पथ के कि०मी० 04 में कराये गये SDBC Gr-II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.267% पायी गई, जो विहित प्रावधान (5%) एवं निर्धारित टॉलरेन्स लिमिट (4.19%) से भी कम है।

3. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय तकनीकी समिति का भी मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसके द्वारा विश्लेषणोंपरांत आलोच्य पथ में पायी गई त्रुटियों / अनियमितताओं के लिए श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाये जाने की अनुशंसा की गई।

तदालोक में विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा के क्रम में श्री कुमार द्वारा दिनांक–21.12.2017 के समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 के उपनियम -v के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता हैं।

(i) **"तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** ।

ह० / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 3364(E) पटना, दिनांक :– 29/4/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, हाजीपुर/ अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुजफ्फरपुर /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री विनय कुमार, सहायक शोध पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, मोतिहारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 3364(E) पटना, दिनांक :– 29/4/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

26/4/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

26/04/19